


भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

91AD 542257

सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) आज दिनांक 27 जुलाई सन 2022 को निम्नवत

प्रथम पक्ष - रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय (बिजनौर) द्वारा

डा० प्रमोद कुमार प्राचार्य एवं

द्वितीय पक्ष - भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान बिजनौर, द्वारा

डा० आर० डी० उस्मानी, निदेशक

के बीच पारस्परिक सहयोग की भावना से दर्ज किया जाता है तथा जो निम्न बिंदुओं के अनुसार सहमत है कि:-

- (1) उत्तर प्रदेश शासन एवं एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा निर्धारित शिक्षा नीति-2020 के तहत निर्धारित कौशल विकास के पाठ्यक्रम के सर्टिफिकेट कोर्स में छात्रों को प्रशिक्षित करना।
- (2) छात्र-छात्राओं, के जनहित एवं संस्थाहित में भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान बिजनौर, द्वारा कौशल विकास के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिशा- निर्देशानुसार एम.जे.पी. रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर में निर्धारित वोकेशनल कोर्स/पेपर कराए जाएंगे।
- (3) शिक्षा नीति - 2020 हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुपालन में दोनों पक्ष सहमत है सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) से संबंधित शासनादेश की शर्तों का अनुपालन करेंगे।
- (4) सहमति ज्ञापन (Memorandum of Understanding) को समाप्त करने के लिए कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को ज्ञापन समाप्त करने की तिथि से 6 माह पहले सूचित करेगा ज्ञापन समाप्त करने से पूर्व तत्समय जारी गतिविधियों को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
- (5) किसी भी प्रकार के विवाद में न्यायालय क्षेत्र बिजनौर ही होगा।

दिनांक 27 जुलाई सन 2022 को दो प्रतियों में तैयार कर हस्ताक्षरित किया।

वास्ते प्रथम पक्ष

रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय (बिजनौर)

Principal
R.B.D. College
BIJNOR

Pracharya

समन्वयक

रानी भाग्यवती देवी महिला महाविद्यालय (बिजनौर)

वास्ते द्वितीय पक्ष

भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान बिजनौर।

डा० आर० डी० उस्मानी
निदेशक

डा० यश अग्रवाल
कार्यक्रम संयोजक

भारतीय प्रौद्योगिकी एवं उद्यमी विकास संस्थान बिजनौर।

कार्यालय न्यायिक अधिकारी

क्र.0010 दिनांक

नाम पिता

निवासी R.B.D. College, Bijnor

व्यक्ति MOV

रोहित जोशी

S.V. अंतर्गत

R/No. 32/2009

TEN
RUPEES
Rs.10

दस
रुपये
₹.10

INDIA

NOT A NON JUDICIAL



2140 24252

UTTAR PRADESH

(गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी
न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी

यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।
यदि यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है तो यह प्रमाण पत्र के अंतर्गत जारी किया गया है।

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी
R.B.D. College
Bijnor

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी

न्यायिक अधिकारी (गोपनीयता के अभाव में) न्यायिक अधिकारी